सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 8 राँची, बुधवार, 28 चैत्र, 1940 (श०)

18 अप्रैल, 2018 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 76- 92

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2018

संख्या-03/नि०सं०-09-26/2017 का. 1318-- श्री इन्द्रदेव मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-749/03), संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को निम्नांकित रूप में दिनांक 4 नवम्बर, 2017 से 4 दिसम्बर, 2017 तक की अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

(i)	दिनांक 04.11.2017 से 05.11.2017 तक	:-	शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक 06.11.2017 से 04.12.2017 तक (कुल- 29 दिन)	:-	उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 फरवरी, 2018

संख्या-4/नि०सं०-12-51/2014 का. 1571-- वित्त विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 1 मार्च, 2007 के आलोक में श्री सदानन्द महतो, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- धनबाद), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह, बोकारो द्वारा उपभोग किये गये दिनांक 2 जनवरी, 2017 से 9 जनवरी, 2017 तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 फरवरी, 2018

संख्या -03/नि०सं०-09-11/2016 का. 1616-- श्री मुकुन्द दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 594/03), संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 26 अगस्त, 2017 से 10 सितम्बर, 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संकल्प

27 मार्च, 2018

विषय: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के अन्तर्गत योजना मद में स्वीकृत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं इसमें सृजित कुल 2 (दो) राजपत्रित पद, 11 (ग्यारह) अराजपत्रित पदों सहित कुल 13 (तेरह) पदों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मद से स्थापना व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत स्थानान्तरित करने के संबंध में ।

संख्या-म०नि०-II-उ०यो०-52/2017-18/385-- उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् से मछली उत्पादन में वृद्धि लाने की दिशा में सघन प्रयास किया जा रहा है । मत्स्य प्रक्षेत्र के विभिन्न योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने इस व्यवसाय से आम जनों को अधिक से अधिक जोड़ने नई तकनीक से मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु समुचित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना अन्तर्गत स्थापना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत्यादेश सं 14 दिनांक 29 मार्च, 2010 द्वारा की गई है ।

मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कुल 12 (बारह) पदों का सृजन किया गया था:-

क्र.	कोटि वर्ग	पदनाम	कुल सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	समूह-क	उप मत्स्य निदेशक (मत्स्य तकनीकी संवर्ग)	01	PB-II-9300-34800+ ग्रेड पे. 5400	
2	समूह-ख	व्याख्याता (जिला मत्स्य पदाधिकारी के स्तर) (मत्स्य तकनीकी संवर्ग)	02	PB-II-9300-34800+ ग्रेड पे. 4800	

3	समूह-ग	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी (मत्स्य तकनीकी संवर्ग)	03	PB-II-9300-34800+ ग्रेड पे 4200	
4	समूह-ग	निम्नवर्गीय लिपिक (अनुसचिवीय संवर्ग)	02	PB-II-5200-20200+ ग्रेड पे 1900	
5	समूह-घ	चतुर्थवर्ग	04	IS-4440-7440+ ग्रेड पे 1300	चतुर्थ वर्ग के चार पद बाह्यश्रोत से
कुल स्वीकृत पदों की संख्या -			कुल 12 (बारह)		

2. दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 को आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में प्रस्ताव सं० 06 के रुप मे प्रदत्त अनुशंसा तथा दिनांक 22 जनवरी, 2014 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई स्वीकृति के आलोक में स्वीकृत्यादेश सं 21 दिनांक 6 फरवरी, 2014 द्वारा मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र के लिए निम्नांकित 13 पदों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है -

क्र.	**कोटि वर्ग**	**पदनाम**	**कुल सृजित पदों की संख्या**	**वेतनमान**	**अभ्युक्ति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	समूह-ख	मुख्य अनुदेशक (जिला मत्स्य पदाधिकारी समकक्ष)	02	PB-II-9300-34800+ ग्रेड पे 4800 **(7th PRC Lavel-8)**	स्वीकृत्यादेश सं०म०नि०।-स्था०-**70/2012-13/ 21** दिनांक **06.02.2014** द्वारा सृजित
2	समूह-ख	अनुदेशक (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के स्तर)	04	PB-II-9300-34800+ ग्रेड पे 4200 **(7th PRC Lavel-6)**	

3	समूह-ग	भंडारपाल	01	PB-I- 5200-20200+ ग्रेड पे 2400 **(7th PRC Lavel-4)**	
4	समूह-ग	उच्चवर्गीय लिपिक	01	PB-I-5200-20200+ ग्रेड पे 2400 **(7th PRC Lavel-4)**	
5	समूह-ग	निम्नवर्गीय लिपिक	03	PB-I-5200-20200+ ग्रेड पे 1900 **(7th PRC Lavel-2)**	
6	समूह-घ	चतुर्थवर्ग	02	IS-4440-7440+ ग्रेड पे 1650 **(7th PRC Lavel-1)**	
कुल स्वीकृत पदों की संख्या -			कुल 13 (तेरह)		

3. मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र के प्रथम वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रत्येक वर्ष इस योजना का नियमित अवधि विस्तार मुख्य शीर्ष 2405 मछली पालन-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-18-मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद से किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश सं० 02 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 द्वारा मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना का स्थापना सहित अवधि विस्तार की अद्यतन स्वीकृति प्रदान की गई है ।

4. झारखण्ड राज्य के अधिक से अधिक मत्स्य कृषकों को मछली उत्पादन के नये तकनीक में प्रशिक्षित कर उनके रोजगार में वृद्धि लाने एवं उनके द्वारा अन्य मछुआरों को प्रेरित कर इस व्यवसाय से जोड़ने एवं मुख्य धारा में लाने का कार्य मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जा रहा है । उक्त लक्ष्य को दृष्टिपथ में रखते हुए मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं उनमें सृजित पदों का भविष्य में बने रहने की पूर्ण प्रासंगिकता है ।

5. मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का व्यय मांग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-2405-मछली पालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्टेट स्कीम) स्थापना व्यय अन्तर्गत विस्तृत इकाईयों में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं तदन्तर बजट में उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

इस स्थापना एवं पदों के स्थायीकरण से अतिरिक्त वित्तीय भार का सृजन नहीं होगा ।

6. उपर्युक्त कंडिका-2, 3 तथा 5 के आलोक में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र में सृजित कुल 2 (दो) राजपत्रित पद एवं 11 (ग्यारह) अराजपत्रित पदों को वित्त विभाग के पत्रांक 258/बजट, दिनांक 22 मई, 2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मद से स्थापना व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा इनके लिए सृजित कुल 13 (तेरह) पदों को स्थायी किया जाता है ।

7. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, धुर्वा, राँची होंगे ।

8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जाएगी ।

9. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

5 मार्च, 2018

संख्या-05/स० भू० धनबाद (DFCCIL)-189/17-963/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **15 फरवरी, 2018** में मद संख्या-**05** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलांतर्गत निरसा अंचल के मौजा-श्यामपुर, थाना सं०-**74** के खाता सं०-126 एवं 128 के विभिन्न प्लॉटो में अंतर्निहित कुल रकबा-**1.47** एकड़ गैरमजरुआ आम भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) विभागीय परिपत्र संख्या-**4306/**रा., दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** की कंडिका 2 (**i**) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित की गई सलामी राशि **7,05,453/- (**सात लाख पाँच हज़ार चार सौ तिरपन) रूपये मात्र, सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक दर से व्यावसायिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि **8,81,816/-(**आठ लाख इक्यासी हजार आठ सौ सोलह) रूपये मात्र, लगान का **145**% सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **12,78,634/- (**बारह लाख अठहत्तर हजार छः सौ चौंतीस) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **28,65,903/- (**अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**II**) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर **DFCCIL** विशेष रेल परियोजना हेतु **DFCCIL** भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त, धनबाद **DFCCIL,** भारत सरकार द्वारा नदी-नाला के **Waterway** को बनाये रखा जाना सुनिश्चित कर लेंगे ।

iii) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

iv) प्रस्तावित गैरमजरूआ आम भूमि के अपयोजन हेतु अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त, धनबाद सुनिश्चित करा लेंगे ।

v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

vi) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा**0,** दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भू-हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

vii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

viii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु० -यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I

भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	12/2016-17	निरसा	श्यामपुर	74	126	1568	0.08	रास्ता
						1820	0.08	रास्ता
						413	0.01	रास्ता
					128	1778	1.30	नदी
सकल कुल योग							1.47	

अनुलग्नक-II

मूल्य गणना विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या/ग्राम	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि (रूपये में	लगान का 145% सेस का पूँजीकृत मूल्य की राशि (रूपये में)	कुल देय राशि = (5+6+7) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	12/2016-17	1.47	479900	705453	881816	1278634	2865903
	कुल-	1.47		705453	881816	1278634	2865903

अर्थात कुल अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन रूपए मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

5 मार्च, 2018

संख्या-05/स० भू० धनबाद (DFCCIL)-222/17-964/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **15 फरवरी, 2018** में मद संख्या-**04** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलांतर्गत अंचल-निरसा, मौजा-नारीपहाड़ी, थाना सं०-**147** के विभिन्न खाता सं० एवं प्लॉट सं० में अंतर्निहित कुल रकबा-**4.045** एकड़ गैरमजरुआ आम भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) निबंधन दर तालिका के अनुसार न्यूनतम निबंधन दर एवं विभागीय परिपत्र संख्या-**4306/**रा., दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आधार पर संगणित की गई सलामी राशि **13,28,783/- (**तेरह लाख अठाईस हजार सात सौ तिरासी) रूपये मात्र, सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक दर से व्यावसायिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि **16,60,978/-(**सोलह लाख साठ हजार नौ सौ अठहत्तर) रूपये मात्र, लगान का **145**% सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **24,08,418/- (**चौबीस लाख आठ हजार चार सौ अठारह) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **53,98,179/- (**तिरपन लाख अनठानवे हजार एक सौ उन्यासी) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**II**) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर **DFCCIL** विशेष रेल परियोजना हेतु **DFCCIL** भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त, धनबाद **DFCCIL,** भारत सरकार द्वारा नदी-नाला के **Waterway** को बनाये रखा जाना सुनिश्चित कर लेंगे ।

iii) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

iv) प्रस्तावित गैरमजरूआ आम भूमि के अपयोजन हेतु अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त, धनबाद सुनिश्चित करा लेंगे ।

v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

vi) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भू-हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

vii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

viii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु-०-यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I

भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	09/2016-17	निरसा	नारीपहाड़ी	147	58 56 56 55 55	44 271 438 533 535	0.035 0.1250 0.005 3.825 0.055	सड़क रास्ता देवस्थान नदी नाला
सकल कुल योग							4.045	

अनुलग्नक-II

मूल्य गणना विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या/ग्राम	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि (रूपये में)	लगान का 145% सेस का पूँजीकृत मूल्य की राशि (रूपये में)	कुल देय राशि = (5+6+7) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	09/2016-17	4.045	328500	1328783	1660978	2408418	5398179
	कुल-	4.045		1328783	1660978	2408418	5398179

अर्थात तिरपन लाख अनठानवे हजार एक सौ उन्यासी रूपए मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

5 अप्रैल, 2018

संख्या-2/नि.स्था-40/2017-1497/नि.-- श्री अशोक कुमार सिन्हा, सहायक निबंधक महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में दिनांक-18 जनवरी, 2012 से दिनांक 13 मार्च, 2012 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण वेतन पर प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

26 मार्च, 2018

संख्या-05/स० भू० पाकुड़ (ज०न०वि०)-228/17-1320/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **6 मार्च, 2018** में मद संख्या-**05** में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्व में निर्गत राज्यादेश संख्या-**1831/**रा०, दिनांक **13 जून, 2012** (संलग्न अनुलग्नक-**i**) को रद्द करते हुए पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल-आमड़ापाड़ा के मौजा-चिलगोजोरी, थाना सं०-**16**, खाता सं०-**51**, दाग सं०-**946** में अंतर्निहित कुल रकबा-**12.00** एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि किस्म-पुरातन पतित पर जवाहर नवोदय विद्यालय-**II** की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रलाय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

(i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, पाकुड़ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त, पाकुड़ यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

iii) अन्य सभी शर्ते एवं इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

iv) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

26 मार्च, 2018

संख्या-05/स० भू० कोडरमा (रेल)-20/18-1316/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **6 मार्च, 2018** में मद संख्या-**04** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में कोडरमा जिलान्तर्गत अंचल-कोडरमा मौजा-कौआवर, थाना संख्या-**236** खाता संख्या-**92,** के प्लॉट संख्या-**660** में अंतर्निहित कुल रकबा-**2.50** एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि किस्म परती कदीम, राजस्व विभागीय पत्रांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आधार पर निर्धारित दर **9,18,800/-(**नौ लाख अठारह हजार आठ सौ) रूपये प्रति एकड़ के अनुसार संगणित सलामी की राशि -**22,97,000/- (**बाईस लाख सनतानवे हजार) रूपये मात्र, सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि **28,71,250/- (**अठाईस लाख एकहत्तर हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र एवं लगान का **145**% सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **41,63,313/- (**एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ तेरह) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **93,31,563/- (**तिरानवे लाख इकतीस हजार पाँच सौ तिरसठ) रूपये मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर कोडरमा-तिलैया रेलवे लाईन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, कोडरमा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त, कोडरमा द्वारा भूमि हस्तांतरण के पूर्व अधियाची विभाग से विषयगत परियोजना मे सन्निहित कुल देय राशि का एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी ।

iii) उपायुक्त, कोडरमा यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति

प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

iv) परियोजना के अंतर्गत पड़नेवाली वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

v) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014,** इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

vi) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

vii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

viii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

ix) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु०-यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 8 -- 50 ।